न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 170 / 2021

इमरान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं 333001 मो0न0 9413642787

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 22.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 170 / 2021 पर दिनांक 31.08.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2802–2803 दिनांक 01.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1767 दिनांक 08.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी इमरान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आर0टी0आई0 पोर्टल पर दिनांक 27.07.2021 को आवेदन प्रस्तुत हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से यह आंकलन नही किया जा सकता कि प्रार्थी किस राजकीय विघालय कार्मिक के विरूद्व की गई कार्यवाही की सूचना चाहता है जिसके संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 295 दिनांक 13.08.2021 के द्वारा प्रार्थी स्वयं को पत्र लिखकर कहा गया कि आप किस राजकीय कार्मिक के विरूद्व दर्ज शिकायत की सूचना चाहते है। आप कार्मिक का नाम, विघालय का नाम सहित पुनः आवेदन करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने सुचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।
6. लो0सू0अ0 (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1767 दिनांक 08.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी इमरान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आर0टी0आई0 पोर्टल पर दिनांक 27.07.2021 को आवेदन प्रस्तुत हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से यह आंकलन नही किया जा सकता कि प्रार्थी किस राजकीय विघालय कार्मिक के विरूद्व की गई कार्यवाही की सूचना चाहता है जिसके संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 295 दिनांक 13.08.2021 के द्वारा प्रार्थी स्वयं को पत्र लिखकर कहा गया कि आप किस राजकीय कार्मिक के विरूद्व दर्ज शिकायत की सूचना चाहते है। आप कार्मिक का नाम, विघालय का नाम सहित पुनः आवेदन करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
22/9/21